प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा मे,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र सं0: एस0पी0एम0यू0 / NPCB / दि0 नि0 / 04 / 2013–14 / 336-75 दिनांक: 15-10-13

विषय : नेशनल डिजीज़ कन्ट्रोल प्रोग्राम के अन्तर्गत राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम की वित्तीय वर्ष 2013–14 में जनपदवार, गतिविधिवार प्रथम किस्त हेतु अवमुक्त धनराशि एवं तद्सम्बन्धी दिशा–निर्देश।

महोदया / महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की आर0ओ0पी0 2013–14 के एफ0एम0आर0 कोड सं0–एच में राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत रू0 2544.10 लाख की धनराशि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है।

2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध कराए गए फांट के अनुसार राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में रू0 272.33334 लाख की धनराशि जिलों की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में अवमुक्त की जा रही है–

SN	District Name	Uncommitted balance as on 01.04.2013	Cat.Govt. sector @ 450/oprtn (50%)	Cat.NGO sector @ 1000/oprtn (25%)	Other Eye Diseases (25%)	Free Spect. School Children (50%)	Free Spect Old Peoples (25%)	Total proposal by SPO	Total amount to be released
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (9-3)
1	Agra	1018928	809000	776725	581250	329250	54875	2551100	1532172
2	Aligarh	1929165	723900	694950	456250	276100	46025	2197225	268060
3	Allahabad	-1602319	999300	959350	806250	447900	74650	3287450	3287450
4	Ambedkar Nagar	1268457	289000	277450	0	180300	30050	776800	0
5	Amethi	2628778	180750	173500	0	112750	18800	485800	0
6	Amroha	1317755	185400	177975	0	115650	23025	502050	0
7	Auraiya	1032987	165350	158725	0	103150	17200	444425	0
8	Azamgarh	3408612	392150	376475	0	346950	57825	1173400	0
9	Badaun	1147438	447350	429450	0	279050	46500	1202350	54912
10	Bagpath	1604304	156900	150625	0	97850	16300	421675	0
11	Bahraich	2030235	419100	402325	0	261400	43575	1126400	0
12	Ballia	973120	388400	372875	0	242300	40375	1043950	70830
13	Balrampur	761841	258950	248575	0	161500	26925	695950	0
14	Banda	1672751	216800	208150	0	135250	22550	582750	0
15	Barabanki	507436	392550	376850	0	244850	40800	1055050	547614
16	Bareilly	83434	538000	516500	581250	335600	55925	2027275	1943841
17	Basti	1590935	296500	284675	187500	184950	30825	984450	0
18	Bijnore	497487	443850	426100	0	276850	46150	1192950	695463
19	Bulandshahar	1896222	421550	404650	0	262950	43825	1132975	0

S N	District Name	Uncommitted balance as on 01.04.2013	Cat.Govt. sector @ 450/oprtn (50%)	Cat.NGO sector @ 1000/oprtn (25%)	Other Eye Diseases (25%)	Free Spect. School Children (50%)	Free Spect Old Peoples (25%)	Total proposal by SPO	Total amount to be released
20	Chandauli	-832343	199150	191150	0	124200	24500	539000	539000
21	Chitrakut	1272687	119350	114575	0	74450	12400	320775	0
22	Deoria	-2282578	373350	358400	0	232900	38825	1003475	1003475
23	Etah	943981	212200	203700	0	132350	22050	570300	0
24	Etawah	2150225	190250	182650	0	118700	19775	511375	0
25	Faizabad	627733	297400	285500	0	185500	30925	799325	171592
26	Farrukhabad	297246	227450	218325	0	141850	23650	611275	314029
27	Fatehpur	389625	317200	304525	0	197850	32975	852550	462925
28	Firozabad	-807800	300850	288800	0	187650	31275	808575	808575
29	G B Nagar	1007123	272100	261200	200000	125850	20975	880125	0
30	Gaziyabad	972964	557700	535375	331250	260150	33350	1717825	744861
31	Ghazipur	3080846	436450	419025	0	272250	45375	1173100	0
32	Gonda	2232969	413450	396900	0	257900	42975	1111225	0
33	Gorakhpur	2615858	675150	648125	437500	333400	55575	2149750	0
34	Hamirpur	888882	133000	127700	0	83000	13825	357525	0
35	Hapur	1641308	144600	138800	0	90200	25050	398650	0
36	Hardoi	347834	492950	473250	0	307500	51250	1324950	977116
37	Hathras	-182502	188650	181100	0	117650	19600	507000	507000
38	Jalaun	780784	201300	193250	0	125550	20925	541025	0
39	Jaunpur	1074456	539300	517725	0	336400	56075	1449500	375044
40	Jhansi	-1849933	475450	456425	456250	150350	25050	1563525	1563525
41	Kannuaj	-125494	199750	191775	0	124600	20775	536900	536900
42	Kanpur(Dehat)	2170907	216300	207625	0	134900	22475	581300	0
43	Kanpur(Urban)	-3782277	902550	866450	656250	343700	57275	2826225	2826225
44	Kashganj	1864721	173250	166350	0	108100	18025	465725	0
45	Kaushambi	-1862547	192400	184700	0	120000	20000	517100	517100
46	Kheri	3262764	483600	464250	0	301650	50275	1299775	0
47	Kushinagar	2346761	429050	411875	0	267600	44600	1153125	0
48	Lalitpur	254651	146750	140875	0	91550	15250	394425	139774
49	Lucknow	13054097	881000	845725	781250	344850	57475	2910300	0
50	Maharajganj	1166694	321150	308275	0	200300	33375	863100	0
51	Mahoba	955526	105550	101325	0	65850	10975	283700	0
52	Mainpuri	33298	222500	213650	0	138850	23150	598150	564852
53	Mathura	-4690465	306250	294025	0	191050	31850	823175	823175
54	Mau	1243911	265700	255075	0	165750	27625	714150	0
55	Meerut	-1915528	884100	1060950	656250	259100	43175	2903575	2903575
56	Mirzapur	96349	300550	288525	0	187500	31250	807825	711476
57	Moradabad	1827282	571150	548300	575000	268550	34725	1997725	170443
58	Muzaffar Nagar	2399488	354050	339900	0	220850	26800	941600	0
59	Pilibhit	1571605	245450	235650	0	153100	25525	659725	0
60	Pratapgarh	915911	382400	367100	0	238550	39750	1027800	111889
61	Raibareilly	2570429	410150	393725	0	255850	42650	1102375	0

S N	District Name	Uncommitted balance as on 01.04.2013	Cat.Govt. sector @ 450/oprtn (50%)	Cat.NGO sector @ 1000/oprtn (25%)	Other Eye Diseases (25%)	Free Spect. School Children (50%)	Free Spect Old Peoples (25%)	Total proposal by SPO	Total amount to be released
62	Rampur	3465873	317550	304825	0	198050	29250	849675	0
63	Saharanpur	1698382	417400	400700	0	260350	43400	1121850	0
64	Sambhal	1521208	144600	138800	0	90200	25050	398650	0
65	Sant Kabir Nagr	472820	206550	198300	0	128850	21475	555175	82355
66	Sant Ravi das Nagar	501555	187250	179775	0	116800	19475	503300	1745
67	Shahjahanpur	2313470	361750	347275	0	225650	37600	972275	0
68	Shamli	620378	144600	138800	0	90200	25050	398650	0
69	Shravasti	948708	134300	128925	0	83750	13950	360925	0
70	Siddharthnagar	1794096	307650	295350	0	191900	31975	826875	0
71	Sitapur	-1446000	421950	405050	0	336300	56050	1219350	1219350
72	Sonbhadra	560787	224400	215450	0	140000	23325	603175	42388
73	Sultanpur	1173682	276000	264975	0	172200	28700	741875	0
74	Unnao	292772	374800	359800	0	233800	38975	1007375	714603
75	Varanasi	3971787	620450	660925	781250	299450	46125	2408200	0
	Total	**79384532**	**26625000**	**25837500**	**7487500**	**15000000**	**2500000**	**77450000**	**27233334**

3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी विस्तृत जनपदवार, गतिविधिवार फांट पत्र के साथ संलग्न है। अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों में किया जाएगा जिन मदों के लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

4. धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यकम/मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यकम/मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।

4. स्वीकृत मद का पुर्निविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यकम की धनराशि दूसरे कार्यकमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

6. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख, कैश बुक, बैंक बुक, लेजर, चेक इश्यू का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकों में सभी प्रविष्टियां समय से पूर्ण करायें साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।

7. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।

8. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।

9. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।

---4

10. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

11. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रकिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

12. भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06. 2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

13. राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के उपयोग एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश निम्नवत है–

1. <u>मोतियाबिन्द ऑपरेशन हेतु धनराशि (एच 1.1)</u>

- मोतियाबिन्द आपरेशनों के जनपदवार लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु हर सम्भव प्रयास किये जाये।
- लक्ष्य के 98 प्रतिशत ऑपरेशन आई0ओ0एल0/एस0आई0सी0एस0/फेको विधि से सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- वर्ष 2013–14 से राजकीय क्षेत्र में किये गये मोतियाबिन्द आपरेशनों का भुगतान भारत सरकार द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना काल हेतु संशोधित दर (रू0 450/प्रति आपरेशन) की दर से किया जायेगा।
- जनपदों में स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा किये गये आपरेशनों का भुगतान भारत सरकार द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना काल हेतु संशोधित दर (रू0 1000/प्रति आपरेशन) पर नियमानुसार किये गये आपरेशन का भौतिक सत्यापन जनपद में उपलब्ध कुल नेत्रशल्यको की संख्यानुसार इस प्रकार विभक्त किया जाये कि प्रत्येक नेत्रशल्यक द्वारा बराबर–बराबर भौतिक सत्यापन किये जाये। नेत्रशल्यक के अतिरिक्त किसी भी अधिकारी/कर्मचारी (जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/आप्टोमेट्रिस्ट) द्वारा किये गये सत्यापन पर जिला कार्यक्रम अधिकारी से काउन्टर साईन किया जाना अति आवश्यक होगा।
- स्वैच्छिक संस्थाओं को दिनांक 01.04.2013 के उपरान्त किये गये आपरेशनों के भुगतान तभी किये जायेगें जबकि वे भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये एम0आई0एस0 सिस्टम में उक्त आपरेशनों का डाटा कम्प्यूटर द्वारा भारत सरकार की वेबसाईट पर करेगें। जिसका प्रशिक्षण भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जा चुका है। किसी भी दशा में एम0आई0एस0 सिस्टम पर आपरेशनों का डाटा फीड किये बिना एन0जी0ओ0 का भुगतान नहीं किया जायेगा यदि ऐसे किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
- स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा किये गये आपरेशनों के भुगतान तभी किये जा सकेगें जबकि वे किये गये आपरेशन एवं उपलब्ध कराई गई सभी निःशुल्क सुविधाओं का पूर्ण विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध करायेंगे। संस्था का भी पूर्ण विवरण उपलब्ध कराना होगा। संस्थाओं को किये जाने वाले किसी एक आपरेशन का भुगतान किसी एक ही संस्था को किया जायेगा, न कि उक्त भुगतान को 2 या उससे अधिक संस्थाओं में बॉटा जायेगा।
- ग्राम्य स्तर पर आप्टोमेट्रिस्ट द्वारा आशा, पंचायत सदस्य, ए0एन0एम0, अथवा पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सहायता से अन्धता से ग्रस्त लोगों का विवरण अंधता रजिस्टर में अंकित कराया जाये तथा आरम्भिक परीक्षण कर स्क्रीनिंग कैम्प, बेस कैम्प अथवा चिकित्सालय मे जांच व उपचार हेतु रेफर किया जाये। नेत्रशल्यक द्वारा ऑपरेशन हेतु उपयुक्त केसों का चयन कर शल्यकिया की जाये तथा आपरेशन के उपरान्त मिलने वाली सभी सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाये तथा अंधता रजिस्टर में अंकित किया जाये। समय–समय पर अंधता रजिस्टर में आपरेशन के उपरान्त मरीजों का मूल्यांकन कर अंकित किया जाये।

---5

- मोतियाबिन्द से ग्रसित अन्धता के मरीजों के सभी आपरेशन सरकारी/एन0जी0ओ0 के बेस चिकित्सालय के मानकानुसार विसंक्रमित ओ0टी0 में आई0ओ0एल0 विधि द्वारा किये जाये तथा ऑपरेशन के लिए अनुमन्य निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- जिला चिकित्सालयों, मेडिकल कॉलेजों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्थापित आई0ओ0एल0 केन्द्रों, स्वैच्छिक संस्थाओं के चिकित्सालयों पर कैटरेक्ट ऑपरेशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- सभी ऑपरेशन के मरीजों का फालोअप करके आवश्यकतानुसार सही चश्मे की जांच तथा चश्मे की आपूर्ति की निःशुल्क व्यवस्था की जाये ।
- नेत्र शल्यको को आई0ओ0एल0, स्माल इन्सिजन कैटरेक्ट सर्जरी (SICS) तथा फेको विधि से कैटरेक्ट ऑपरेशन हेतु प्रशिक्षित किया जाये ।
- श्रेष्ठ एवं उच्च तकनीकि से लैस स्वयंसेवी संस्थाओं को चिन्हित कर एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित कर आपरेशनों हेतु प्रोत्साहित किया जाये।
- सेवाओं की उपलब्धता एवं गुणवत्ता का सघन प्रचार प्रसार किया जाये।
- अनुमानतः 25 प्रतिशत ऑपरेशन सरकारी इकाईयों द्वारा, 25 प्रतिशत कार्यक्रम द्वारा वित्तपोषित स्वयंसेवी संस्थाओ द्वारा तथा शेष 50 प्रतिशत स्वःवित्त पोषित संस्थाओं तथा निजी इकाईयों के शल्यकों द्वारा सम्पादित कियें जायेंगे। जनपद में उपलब्ध संसाधनानुसार उपरोक्त अनुपात कें परिवर्तन का प्रस्ताव कर सकते है तथा जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से मिशन निदेशक से अनुमोदित कराते हुए कार्य सम्पन्न किया जाय।
- लक्ष्य से अधिक उपलब्धि प्राप्त करने वाले जनपद समय से अतिरिक्त धनराशि का औचित्यपूर्ण मांग पत्र स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन प्राप्त कर मिशन निदेशक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें जिससे समय रहते अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई जा सके जिससे जनपद में पूर्व वर्षो की देनदारियों पर विराम लगाया जा सकें।

राजकीय इकाईयों मे आई0ओ0एल0, आपरेशन के चश्में तथा बच्चों को प्रदान किये जाने वाले चश्में जनपद स्तर पर राजकीय क्रय नियमो के अन्तर्गत ही किया जायेगा। कार्यक्रम कें अन्तर्गत होने वाले मोतियाबिन्द आपरेशनों हेतु सहयोग करने वाली नान सर्जिकल स्वैच्छिक संस्थाओं, आशा कार्यकर्ती, पंचायत कर्मी, आई0सी0डी0एस0 कर्मियों को मोतियाबिन्द ग्रसित रोगियों की पहचान कर आपरेशन हेतु आपरेशन स्थल तक लाने, आपरेशन कराकर घर वापस ले जाने तथा पूर्ण फालोअप कराने हेतु अधिकतम रू0 250.00 प्रति आपरेशन की दर से धनराशि प्रदान किया जाना अनुमन्य है।

2. मोतियाबिन्द के अतिरिक्त होने वाले नेत्र रोगो (डायबेटिक रेटिनोपैथी में लेज़र ट्रीटमेन्ट, ग्लूकोमा आपरेशन, कार्निया ट्रान्सप्लान्टेशन, विट्रियोरेटिनल सर्जरी तथा ट्रीटमेन्ट आफ चाईल्डहूड ब्लाइन्ड़नेस) के आपरेशन एवं इलाज की सुविधा (एच–1.2)

- वर्ष 2009–10 से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत मोतियाबिन्द आपरेशनों के अतिरिक्त नेत्रों में होने वाले अन्य रोगों जैसे (डायबेटिक रेटिनोपैथी में लेज़र ट्रीटमेन्ट, ग्लूकोमा आपरेशन, कार्निया ट्रान्सप्लान्टेशन, विट्रियोरेटिनल सर्जरी तथा ट्रीटमेन्ट आफ चाईल्डहूड ब्लाइन्डनेस) के इलाज हेतु लक्ष्य प्राप्त हो रहे है। वर्ष 2013–14 हेतु रोगानुसार लक्ष्य प्राप्त हुए है जिन्हें प्रदेश के मंडलीय/अधिक आबादी वाले/ऐसे जनपद जहां पर इन नेत्र रोगों का ईलाज सम्भव हो वितरित किया जा रहा है।
- उपरोक्त रोगों के इलाज हेतु अलग से एक रजिस्टर बनाये जायें जिसका प्रारूप भारत सरकार की नई गाइड लाईन में उपलब्ध है।
- उपरोक्त रोगों के इलाज हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं के चिकित्सालयों को ग्लूकोमा आपरेशन, डायबेटिक रेटिनोपैथी का लेजर द्वारा इलाज, कार्निया ट्रान्सप्लान्टेशन, विट्रियोरेटिनल सर्जरी तथा चाईल्ड़हूड ब्लाइन्डनेस हेतु अलग–अलग दरें निर्धारित की गई हैं जो निम्न प्रकार है–

कम सं0	ऑपरेशन	निर्धारित दर
1	डायबेटिक रेटिनोपैथी का लेजर द्वारा इलाज	रू 1500 प्रति आपरेशन

— 6

2	चाईल्डहूड ब्लाइन्डनेस	रू 1500 प्रति आपरेशन
3	ग्लूकोमा आपरेशन	रू 1500 प्रति आपरेशन
4	कार्निया ट्रान्सप्लान्टेशन (किरैटो प्लास्टी)	रू 5000 प्रति आपरेशन
5	विट्रियोरेटिनल सर्जरी	रू 5000 प्रति आपरेशन

- उपरोक्त रोगो के इलाज चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित अभिलेख एम0आई0एस0 साफटवेयर पर फीड हो जाने के उपरान्त प्रदान की जानी है। इस सम्बन्ध में किये गये आपरेशनों का बीमारीवार विवरण तथा उन पर व्यय धनराशि का विवरण भी प्रतिमाह एन0जी0ओ0वार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- मोतियाबिन्द हेतु स्क्रीनिंग कैम्प में सरकारी चिकित्सक एवं एन0जी0ओ0 चिकित्सको द्वारा अन्य नेत्ररोगो के मरीजों को चिन्हित किया जाना है तथा उनका इलाज हेतु निर्धारित दिन प्रति सप्ताह सुनिश्चित कर इलाज किया जाना है।

3. स्कूलों मे नेत्र परीक्षण व चश्मों का वितरण (एच–1.3)

- प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के (ब्लाक एवं अतिरिक्त) के अन्तर्गत स्कूलों मे 8–14 वर्ष तक के स्कूल जाने वाले बच्चों तथा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा भेजे गये 14–19 वर्ष तक के स्कूलों में जाने वाले बच्चों की नजर की स्क्रीनिंग की जायेगी। जिन बच्चों की नजर कमजोर पायी जायेगी उन्हे जांच हेतु ब्लाक स्तरीय प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर नेत्र परीक्षण हेतु रेफर किया जायेगा तथा जांचोपरान्त मुफ्त चश्मे की आपूर्ति की जायेगी।
- ब्लाक स्तर पर नियुक्त आप्टोमेट्रिस्टों द्वारा नजर की जांच कर चश्मे का नम्बर निर्धारित किया जायेगा ।
- भारत सरकार द्वारा चश्मे की लागत अधिकतम रू0 200.00 निर्धारित की गई है।
- सभी स्कूलों की दो–दों अध्यापक/अध्यापिकाओं को नेत्र परीक्षण करने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाये। जिन बच्चों को कम रोशनी हैं उन्हे नजदीक के सरकारी विज़न सेन्टर (जहां पर नेत्रपरीक्षण का कार्य आप्टोमेट्रिस्ट द्वारा किया जाता है) में अध्यापक के माध्यम से या राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में स्कूलों में जाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा भेजे गये बच्चें के निःशुल्क चश्मा वितरण कार्ड पर राजकीय नेत्र परीक्षण अधिकारी द्वारा किये गये नेत्रपरीक्षणों उपरान्त दिये गये सही नम्बर का चश्मा जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा टेन्डर के माध्यम से चयनित दुकान के द्वारा कार्ड लेकर निःशुल्क प्रदान किया जाये तथा कार्ड के एक भाग को पूर्व निर्धारित दर पर भुगतान हेतु जिला कार्यक्रम प्रबन्धक अंधता के पास उपलब्ध कराया जाये। जिला कार्यक्रम प्रबन्धक दुकान द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी कार्ड बिल के साथ प्राप्त करने पर नियमानुसार भुगतान एक सप्ताह के भीतर करना सुनिश्चित करेगे।
- बच्चों को प्रदान किये जाने वाले चश्मों तथा मोतियाबिन्द के मरीजों को प्रदान किये जाने वाले चश्मो के क्रय हेतु टेन्डर/दुकानो का चयन माह अक्टूबर 2013 तक कर लिया जाय। तदोपरान्त राज्य स्तर से निर्धारित कार्यक्रमानुसार तिथिवार गतिविधियां संचालित कराकर 30.12..2013 तक लक्ष्यों को शतप्रतिशत पूर्ण कर लिया जाये।
- दुकानो का चयन चश्मो के क्रय हेतु किये गये टेन्डर के माध्यम से किया जाये, टेन्डर में सम्पूर्ण तकनीकि मानको को पूर्ण करने वाली तथा न्यूनतम दर पर चश्मा उपलब्ध कराने हेतु चयनित दुकानों से कम से कम 5 फ्रेम स्पेसिमेन के रूप में रखे जाये जिसमें से 1 फ्रेम सील्ड करके, निदेशालय के नेत्रउपचार अनुभाग में सप्लायर का नाम, पता, टेलीफोन न0, ई0मेल तथा टेन्डर में निर्धारित दर के विवरण के साथ उपलब्ध कराया जाये ताकि निरीक्षण के समय मानकानुसार चश्मो का परीक्षण कराया जा सके।
- 0.25 तथा 0.50 नम्बर के चश्मों से अन्धता की दरों मे कोई परिवर्तन नही हो रहा है। दृष्टिमितिज्ञों को इस बात का निर्देश पहले से ही दे दें। इस कार्य के परिवेक्षण हेतु जिले को जनपद में उपलब्ध नेत्रशल्यको के माध्यम से इस प्रकार विभक्त कर दिया जाये और उन्हे निर्देशित किया जाये कि वे स्कूल स्क्रीनिंग के इस कार्यक्रम को गुणवत्ता पूर्वक निरीक्षण करें

---7

जिसके लिए टी0ए0/डी0ए0 कार्यक्रम में उपलब्ध धनराशि से किया जा सकता है, इस हेतु जिला स्वास्थ्य समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

- जनपद का हर आप्टोमेट्रिस्ट अपने स्तर पर स्कूली बच्चों के नेत्रपरीक्षण तथा दिये गये चश्मो का एक रजिस्टर अलग से बनाये तथा अपडेट करते रहें जिसे निरीक्षण के समय प्रस्तुत किया जायें।

4. राजकीय चिकित्सालयों में बुजुर्ग (रिफैक्टिव एरर के कारण दृष्टिबाधित) लोगों को नेत्र परीक्षण के उपरान्त निःशुल्क चश्मा वितरण। (एच 1.4) –

वर्ष 2013–14 से नई गतिविधि के रूप में भारत द्वारा राजकीय चिकित्सालयों में नेत्र ज्योति की जांच कराने आने वाले बुजुर्ग मरीजों (60 वर्ष से अधिक आयु वाले तथा रिफ्रैक्टिव एरर के कारण दृष्टिबाधित) लोगों को नेत्र परीक्षण के उपरान्त सही नम्बर का निःशुल्क चश्मा वितरण किये जाने हेतु भी 1 लाख चश्में रू 100 प्रति चश्में की दर से बांटने का लक्ष्य प्रदान किया हैं। अतः उक्त लक्ष्य एवं धनराशि का वितरण जनपदों को किया जा रहा है अतः उक्त हेतु जिला चिकित्सालय में मरीजों की नज़र की जांच कर नेत्रपरीक्षण अधिकारी तथा नेत्रशल्यक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के अनुमोदन के उपरान्त जरूरत मंद मरीजों को निःशुल्क चश्में प्रदान किये जायें।

5. नेत्रदान/नेत्रबैंको हेतु रिकरिंग ग्रान्ट (एच–1.5) जिन जनपदो मे नेत्र बैंक पंजीकृत है, उनके लिए ही लक्ष्य निर्धारित किये गये है। आई कलेक्शन हेतु नेत्र बैंक को रू0 2000/– प्रति जोड़ी अथवा नेत्रदान केन्द्र को रू0 1000/– प्रति जोड़ी देय होगा।

6. प्रचार–प्रसार (एच–1.7)

अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यक्रम के प्रचार–प्रसार हेतु एक वर्ष में तीन महत्वपूर्ण दिवस मनाये जाने हैं:–

1. नेत्रदान पखवाड़ा (दिनांक 25 अगस्त से 8 सितम्बर तक)
2. विश्व दृष्टि दिवस (अक्टूबर माह के दूसरे बृहस्पतिवार को)
3. विश्व ग्लूकोमा डे (12 मार्च प्रति वर्ष)

- उक्त दिवसों को मनाये जाने हेतु तदृसमय भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये दिशा निर्देशों के अनुसार जनपद स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित कराई जायेंगी। उक्त हेतु भारत सरकार द्वारा कोई धनराशि जनपद स्तर हेतु अनुमोदित नही की गई है। भारत सरकार से धनराशि की मांग सप्लीमेन्ट्री पी0आई0पी0 के माध्यम से की जा रही है।

7. प्रदेश के चिकित्सालयो में उपलब्ध नेत्र चिकित्सा के उपकरणों का रखरखाव एवं मरम्मत हेतु (एच–1.9)

- अंधता निवारण कार्यक्रम से संबंधित मोतियाबिन्द आपरेशनों में प्रयोग होने वाले उपकरणों को यथा सम्भव क्रियाशील रखना सुनिश्चित किया जाना है।
- जिसके लिए मोतियाबिन्द आपरेशन हेतु आवंटित धनराशि के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा मात्र रू 10.00 लाख धनराशि उपलब्ध कराई गई है उक्त हेतु राज्य स्तर से मांग के अनुसार ही जनपदों को धनराशि उपलब्ध कराई जा सकेगी अतः उक्त हेतु उपकरणों की मरम्मत हेतु प्रस्ताव निदेशालय को भेजना सुनिश्चित करें।
- उपकरणों को उन्हे बनाने वाली कम्पनी से नियमानुसार मरम्मत का विवरण प्राप्त कर धनराशि की मांग निदेशालय को भेजे ताकि अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

8. प्रदेश के जनपदों मे 50 विजन सेन्टर्स की स्थापना (एच–2.3)

- प्रदेश के अधिकांश प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों मे स्थापना के समय ही आवश्यक उपकरण प्रदान किये गये थे व इनके प्रतिस्थापन की कोई व्यवस्था नही थी। इनमे से कई

केन्द्रों पर उपकरण बहुत पुराने हो गये है जिनके प्रतिस्थापन की कार्यवाही इस मद से की जानी है।

- प्राथमिक नेत्रउपचार को प्राथमिकता देते हुए विज़न सेन्टर हेतु धनराशि प्राप्त होते ही जिन प्रा0स्वा0केन्द्रों पर आप्टोमेट्रिस्ट उपलब्ध हो तुरन्त उपकरण क्रय कर विजन सेन्टरों की स्थापना की जाये।
- प्रदेश में 50 विजन सेन्टरों की स्थापना हेतु अनुमति प्राप्त हुई हैं। जनपदों मे चयनित प्रा0/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों अथवा स्वैच्छिक संस्था के विज़न सेन्टर का चिन्हिकरण कर आवश्यकतानुसार स्थापित करने के लिए जनपद को अधिकृत किया जाता हैं।
- उपकरणों को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रति केन्द्र रू0 1,00,000/– की व्यवस्था की गयी है, जिसमें से निम्नानुसार किट क्रय की जानी है।
- किट मे निम्नलिखित उपकरण सम्मिलित हैं :
    1. टोनोमीटर (स्वार्डस)
    2. डायरेक्ट ऑपथैल्मोस्कोप
    3. इलूमिनेटेड विजन टेस्टिंग ड्रम
    4. ट्रायल लेन्स सेट विद ट्रायल फ्रेम्स
    5. स्नेलेन एण्ड नियर विज़न चार्ट
    6. बैटरी ऑपरेटेड टार्च–2
    7. फर्निशिंग एण्ड फिक्शचर्स
    8. स्लिट लैम्प
    9. इपिलेशन फोरसिप्स ज़ाईलोकेन आई ड्राप्स 4 प्रति0।

उपलब्ध धनराशि से उपरोक्त भारत सरकार द्वारा अनुमोदित उपकरणों का क्रय सुनिश्चित किया जाय।

- उपरोक्त सामग्री का क्रय विभागीय रेट कॉन्ट्रेक्ट एवं शासन द्वारा अनुमोदित स्टोर पर्चेज रूल्स के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जाय।
- इस सम्बन्ध में जनपदवार अनुमोदित धनराशि का विवरण जनपद बजट शीट में अंकित बिन्दु एच–2.3 पर है।

9. कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं के चिकित्सालयों के उच्चीकरण हेतु रू0 40.00 लाख, नेत्र बैंको को उपकरण क्रय हेतु रू0 25.00 लाख, नेत्र कलेक्शन सेन्टरों की स्थापना हेतु रू0 1.00 लाख, विजन सेन्टर खोलने हेतु रू0 0.50 लाख एक मुश्त नान–रिकरिंग ग्रान्ट उपलब्ध कराये जाने हेतु।

कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित उपरोक्त मदों ग्रान्ट प्राप्त करने हेतु जारी की गई गाईड लाइन जो भारत सरकार की वेबसाइट **www.mohfw.nic.in** पर उपलब्ध है में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार संस्थाओं द्वारा उनके प्रस्तावों को निर्धारित प्रोफार्मा में भरवा कर प्राप्त होने की दशा में जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन प्राप्त कर राज्य स्तर पर मिशन निदेशक के अन्तिम अनुमोदन हेतु राज्य स्तर पर उसी वित्तीय वर्ष में भेजना।

सामान्य निर्देशः–इस कार्यक्रम में प्राप्त होने वाली ग्रान्ट का व्यय निम्नानुसार मदों में किया जाना हैः–

- मोतियाबिन्द आपरेशन में आवंटित धनराशि का प्रयोगः– कन्ज्यूमेबिल्स, माईनर उपकरण/औज़ार का क्रय (भारत सरकार की अनुमोदित सूची के अनुसार) उपकरणों का रखरखाव, पी0ओ0एल0, गाड़ियों का रखरखाव कल पुर्जे, किराये के वाहनो, प्रचार–प्रसार गतिविधि, ग्राम अंधता रजिस्ट्ररी, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक तथा लेखा सहायक का मानदेय, एन0जी0ओ0 द्वारा किये गये निःशुल्क आपरेशनों का व्यय, पंचायत द्वारा किये गये स्क्रीनिंग, मोटिवेशन तथा मोतियाबिन्द के मरीजों का परिवहन, नेत्रबैकों तथा आई डोनेशन सेन्टरों द्वारा एकत्र की जाने

वाले नेत्रों हेतु आवर्ती सहायता, प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय इस कार्यक्रम में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित गाइड लाइन के अनुसार देय होगें।

- जनपद स्तर के संविदा कर्मियों की तैनाती हेतु दिशा–निर्देश पृथक रूप से जारी किये जायेगें।
- जनपदों द्वारा धनराशि व्यय करने तथा प्रोफार्मा–सी पर माहवार सूचना उपलब्ध कराने तथा निर्धारित प्रारूप (एनेक्सर–5) पर मांग पत्र समय से उपलब्ध कराये जिससें समय रहते धनराशि अविलम्ब अवमुक्त की जा सके। निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।
- जनपद की स्वैच्छिक संस्थाओ के चिकित्सालयों के सुदृणीकरण एव उच्चीकरण हेतु प्रास्तावों के अनुसार 40 लाख की एक मुश्त नानरिकरिंग ग्रान्ट एन0जी0ओ0 के चिकित्सालय के विस्तार हेतु तथा रू0 25.00 लाख नेत्रबैक के वित्तार हेतु तथा 1 नेत्रकलेक्शन सेन्टर हेतु रू0 1.00 लाख प्रति सेन्टर हेतु ग्रान्ट उपलब्ध करने हेतु प्रस्ताव जिला स्वास्थ्य समिति में अनुमोदन के उपरान्त राज्य कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से मिशन निदेशक द्वारा स्वीकृत/अस्वीकृत किये जायेगे। अतः अपने जनपद के एन0जी0ओ0 के प्रस्ताव को नियमानुसार जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन के उपरान्त राज्य स्तर पर भेजना सुनिष्चित करें ताकि योग्य संस्थाओं को भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार धनराशि उपलब्ध कराई जा सके।
- नेत्रबैंको को केवल राजकीय मेडिकल कालेजों एवं सरकारी चिकित्सालयों में ही स्थापित किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाये तथा उनका नाम एवं पता भारत सरकार को उपलब्ध कराया जाये। नेत्रबैकों को एकमुश्त प्रदान की जाने वाली धनराशि को एक ही नेत्रबैक को उपलब्ध कराया जाये इसे कई बैंको में विघटित न किया जाये।

15. कार्यक्रम के अन्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि के उपयोग तथा कार्यक्रम के कियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश संयुक्त निदेशक (नेत्र रोग)/राज्य कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम द्वारा पृथक से जनपदों को निर्गत किया जायेगा। कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुये प्रति माह मिशन निदेशक के अवलोनार्थ प्रेषित की जायेगी।

16. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

336-75-8

पत्र सं0: एस0पी0एम0यू0/NPCB/दि0 नि0/04/2013–14/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अतिरिक्त सचिव/मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
5. निदेशक, राष्ट्रीय कार्यक्रम, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त, जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य सोसायटी, उत्तर प्रदेश।

---10

9. संयुक्त निदेशक (नेत्र)/राज्य कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ की कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुये प्रति माह मिशन निदेशक के अवलोनार्थ प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
10. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0आर0एच0एम0 को इस आशय से कि पत्र की प्रति एन0आर0एच0एम0 की वेबसाइट– www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
11. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

11/10/13

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक